SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.) Case No. 34/18 Complaint or report madeon Name and address of the Complainant..... साम्रिक संत्रिस्ट मध्यम संस् Name, parentage, caste and address of accused तित्र सिंहड/० रदमितिह विरद्यार डम - 36 मिंग जीनेश थाना - भासन्त्री The offence, complainant of, and date of, its alleged commission दिनांक 💇 🕽 12 1 🤈 रिहापूरी हा भाभ नी नेरी पर बिना वैध अनुज्ञाप्ति के अपने ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) अपराध रवीकार है। न्यून दण्ड से दिण्डित करने का निवेदन है। The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-section 260 the value of

the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक २1) २ / २०१७) को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराएं जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये पान्न शब्दों में पान्य स्ता रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर का साधारण कारावास की सजा भूगतायी जावे।
- जप्तशुदा सम्पत्ति नियमानुसार लिटर/पाव/बोतल के जारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार हिन के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार हिन के व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का लन किया जावे।

तेर निदेशन पर ट्रिकेत यायक प्रकार